



16

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 पुनरावलोकन रिश्य 152) III/14

श्री रज्जीबाई के. शिवाजी  
द्वारा आज दि. 16-5-14 को  
प्रस्तुत

Dr. S. K. S. S. S.  
य क्लर्क ऑफ कोर्ट 16/5/14  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 12.15 P.M.

10-50  
8/14  
16-5-14

शाखा प्रभारी (रा.म.)  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

भिन्दू पुत्र स्व० श्री रामकिशन अहिरवार  
निवासी- ग्राम पीरा, तहसील राजनगर,  
जिला छतरपुर, म०प्र० — आवेदक

बनाम

1. रजिया उर्फ रज्जीबाई पुत्री श्री रामकिशुन अहिरवार बेवा स्व० श्री अदररूया अहिरवार निवासिनी- ग्राम पीरा तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, हाल निवासी- ग्राम परा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, म०प्र०
2. हिरिया पुत्री श्री रामकिशुन अहिरवार निवासिनी- ग्राम पीरा तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, हाल निवासिनी- ग्राम ललगुवा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, म०प्र०
3. शांति पुत्री श्री रामकिशुन अहिरवार निवासिनी- ग्राम पीरा तहसील, राजनगर, जिला छतरपुर, हाल निवासी- ग्राम परा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, म०प्र०
4. म०प्र० शासन

— अनावेदकगण

पुनरावलोकन (रिव्यू) आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी 6/5/2014 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 919/14 व उनवान भिन्दू बनाम रजिया आदि

13.1.2015

आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0श्रीवास्तव उपस्थित।  
उन्हें रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया। यह रिव्यु  
आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी  
919-तीन/14 में पारित आदेश दिनांक 6-5-14 के विरुद्ध  
म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत  
किया गया है।

2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की  
ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं  
प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया।  
निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन  
स्वीकार किया जा सकता है :-

- 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस  
समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के  
पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी।
- 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।
- 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है  
उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार  
विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन  
में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया  
जाता है। आवेदक सूचित हों।

  
प्रशासकीय सदस्य